

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

दूरभाष नं. 07817-22951 Email:- dpic.janjgir-cg@gov.in

क्रमांक/970/जि.परि.लाई.कॉ.जांजगीर/रू.अभि./2025

जांजगीर-चांपा, दिनांक 03/12/2025

रूचि की अभिव्यक्ति

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर-चांपा, में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन के लिए चैनल पार्टनर (ट्रेनिंग पार्टनर) के चयन हेतु संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 19/12/25 सायं 5.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाइट www.janjgir-champa.nic.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।


सहायक परियोजना अधिकारी
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन हेतु निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण संचालन के लिए चैनल पार्टनर (ट्रेनिंग पार्टनर) के चयन हेतु संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है -

S.	Course code	Sector	Course Name	Duration	Remark
1	2	3	4	5	6
1	AMH/Q0301	Apparel	Sewing Machine Operator	270	छ0ग0 कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
2	AMH/Q1947	Apparel	Self Employed Tailor	360	
3	ASC/Q9705	Automotive	Taxi Driver	240	
4	CON/Q0602	Construction	Assistant Electrician	330	
5	CSC/Q0303	Capital Goods	Fitter - Fabrication	360	
6	ELE/Q3104	Electronics	Field Technician Other Home Appliances	390	
7	ELE/Q5901	Electronics	Solar Panel Installation Technician	390	
8	ELE/Q8104	Electronics	Mobile Phone Hardware Repair Technician	390	
9	HSS/Q5101	Healthcare	General Duty Assistant	570	
10	PSC/Q0122	Plumbing	Jal Vitaran Sanchaalak (Water Distribution Operator) (Multi - Skill)	300	
11	SSC/Q2212	IT-ITeS	Digital Mitra	190	
12	THC/Q0109	Tourism & Hospitality	Guest Service Executive (Front Office)	450	

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएं

1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो या
2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक न्यूनतम 2 वर्ष का हो) या
3. उपरोक्त कोर्स विशेष से संबंधित व्यवसाय का ख्यात व्यवसायी हो जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अंशोसंरचना रखता हो।

चयन का मापदण्ड

1. संस्था के पास राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अनुभव तथा प्रशिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव हो।
2. प्रयोगशाला/क्लास रूम प्रशिक्षण के आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के अतिरिक्त On the Job प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं सुविधा एवं संस्था द्वारा हितग्राहियों को मल्टी सर्टिफिकेशन करवाने का प्रबंध।
3. पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार, स्वरोजगार में नियोजन की सत्यापित जानकारी के आधार पर।
4. संस्था द्वारा आवेदकों के मोबलाईजेशन की क्षमता।

सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा 10,000/- (दस हजार मात्र) का सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर-चांपा के पक्ष में देय हो, जो वापसी योग्य होगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
2. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) एवं स्किल डेव्लपमेंट इनिशिएटिव स्किल (SDI) योजना के संचालन हेतु तय मानकों के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जांजगीर के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नहीं होगी।
3. संस्था जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जांजगीर प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
4. संस्था के पास व्यवसायानुसार राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं आवश्यक उपकरण (यदि लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. चयनित संस्था द्वारा यदि कॉलेज परिसर में व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना स्वयं द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा।
7. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है, कि प्रशिक्षण स्तरीय नहीं हो, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
8. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी संस्था की ही होगी।
9. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

चैनल पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मुल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्डों को प्राथमिकता दी जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

1. संस्थायें प्रत्येक कोर्स हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के परिशिष्ट अ एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।

3. आवेदन लिफाफा के ऊपर कोर्स का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किये जावें।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित लिफाफा में बंद कर दिया जाएगा।
5. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि/समय तक सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर, पेण्डी भाठा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.0 पिन कोड- 495668 में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।

शुल्क का भुगतान एवं शर्तें

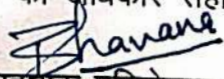
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर का पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर, दिनांक 28.01.2021 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश जारी की गई है के निर्देशानुसार:-

1. प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान:-

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(अ) भवन की उपलब्धता - लाईवलीहुड कॉलेज (ब) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर			
			(अ) भवन एवं लैब सेटअप- लाईवलीहुड कॉलेज (ब) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था- ट्रेनिंग पार्टनर			
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाई. कॉ.	ट्रेनिंग पार्टनर	लाई. कॉ.	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85		

2. प्रशिक्षण लागत का भुगतान की प्रक्रिया:-

- प्रथम किश्त :- बैंच आबंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- द्वितीय किश्त :- मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण के उपरांत मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- तृतीय किश्त:- मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध नियोजन प्रतिशत के आधार पर शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- भुगतान की शर्तें:-
 - कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का वेतन मूलक रोजगार होना आवश्यक होगा। ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा तृतीय किश्त हेतु भुगतान का दावा अंतर्गत नियोजित युवाओं के विरुद्ध प्रत्येक भुगतान दावे में 50 प्रतिशत वेतन मूलक या अधिक हितग्राहियों का नियोजन प्रस्तुत करना होगा।
 - कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण का संचालन केवल शासकीय व्ही.टी.पी. के माध्यम से किया जायेगा। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वरोजगार मान्य होगा।
 - ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्रशिक्षण राशि की मांग किये जाने पर, सत्यापन उपरांत ट्रेनिंग पार्टनर को 15 दिवस के भीतर राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।
- 3. संस्थायें सफल अभ्यर्थियों के नियोजन हेतु भी जवाबदेही होंगी।
- 4. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा निरस्त करने/लोकहित में उपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार सहायक परियोजना अधिकारी लाईवलीहुड कॉलेज के पास सुरक्षित है।


 सहायक परियोजना अधिकारी
 जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
 जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Downloaded from SkillCouncils.com
जिला परियोजना, लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

चैनल पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर/व्यवसाय का नाम चैनल पार्टनर बनने हेतु।

1. संस्था का नाम :.....
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फैंक्स नंबर ईमेल सहित) :.....
:.....
2. संस्था का नाम VTP क्रमांक/पंजीयन क्रमांक :.....
(यदि संस्था एक से अधिक स्थलों में :.....
VTP के रूप में पंजीकृत है तो सभी की जानकारी, :.....
संस्था प्रमुख के नाम पता, दूरभाष नंबर की जानकारी देवे) :.....
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : जिला/संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश
4. संस्था किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु :.....
VTP के रूप में पंजीकृत है उल्लेखित करें। :.....
5. प्रशिक्षकों के व्यवसायवार सूची एवं बायोडाटा संलग्न करें :.....

(परिशिष्ट 'अ' अनुसार)

6. व्यवसायवार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें :.....

(परिशिष्ट 'ब' अनुसार)

7. विभिन्न व्यवसायों में संस्था का प्रशिक्षण :.....
(अनुभव, कार्यादेश की प्रतियां संलग्न करें) :.....
8. पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार/स्वरोजगार में :.....
नियोजन की कार्यादेश एवं व्यवसायवार जानकारी देवें :.....
9. प्रशिक्षणार्थियों को मोबलाईजेशन की प्रक्रिया :.....
10. अभ्यर्थियों को संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने :.....
वाले अतिरिक्त सुविधाएं मल्टी सर्टिफिकेशन आदि की जानकारी :.....

जिला परियोजना, लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

11. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवदेन (विगत तीन वर्षों का) :.....
12. संस्था का TAN/PAN :.....
13. सुरक्षा निधि की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक का नाम
14. अन्य विवरण :.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टीप :- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य हैं। चैनल पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन संस्था करेगी।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ' (भाग – एक)

प्रशिक्षण कार्य कराये जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्रमांक	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन का विषय	कार्यानुभव	टी.ओ.टी. सर्टिफिकेट
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

अन्य स्टाफ की जानकारी

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'ब' (भाग – दो)

पूर्व में कराये गये प्रशिक्षण एवं नियोजन की जानकारी –

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	योजना	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	रोजगार/ नियोजन संख्या	रिमांक (संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही एवं नियोजन संख्या हेतु पोर्टल प्रति

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट - 'स' (भाग - तीन)

प्रस्तावित सेक्टर/जॉब रोल /कोर्स के नियोजन हेतु टाई-अप कंपनियों/फर्म की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राही संख्या	नियोजन/ रोजगार हेतु टाई-अप कंपनी				रिमाक (संबंधित कंपनी से अनुबंध/टेलर हेड पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				रिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी नियोक्ता का नाम एवं पूर्ण पता	मोबाईल नं.	

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)